

नियम 49 : प्रदाय का बिल

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रदाय का बिल, निम्नलिखित ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा, अर्थात्—

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण— हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे “—” और “/” क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;
- (ग) उसके जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ङ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;
- (च) मालों और सेवाओं या दोनों का वर्णन;
- (छ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य;
- (ज) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर :

परन्तु नियम 46 का परन्तुक, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उस नियम के अधीन जारी प्रदाय बिल को लागू होगा :**परन्तु यह और** कि किसी गैर—कराधेय प्रदाय की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी कर बीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर बीजक के रूप में माना जाएगा।

¹**[परन्तु यह भी** कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रानिक बिल जारी के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।]

²**[परन्तु यह** कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 74/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

² अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। यह अधिसूचना क्रमांक 71/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2019 द्वारा दिनांक 01.04.2020 से प्रभावशील किया गया।